न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 63/2017 (अपील)
जी.सी.एम.एस. नं. – 2017/00143

उनवान

गोपाल उर्फ रामगोपाल पुत्र बजरंगा जाति मीणा निवासी बांगरोद तहसील पीपल्दा,जिला कोटा राज0 (अपीलान्ट)

बनाम

1. अटल बिहारी पुत्र भवरलाल जाति मीणा निवासी बांगरोद तहसील पीपल्दा।
2. रामबिलास पुत्र भवरलाल जाति मीणा निवासी बांगरोद तहसील पीपल्दा।
3. निगमा पुत्री बजरंगा जाति मीणा निवासी बांगरोद तहसील पीपल्दा।
4. गिर्राज पुत्र रामेश्वर जाति मीणा निवासी बांगरोद तहसील पीपल्दा।
5. प्रेमबाई पत्नी श्री राम जाति मीणा निवासी बांगरोद तहसील पीपल्दा।

(रेस्पोडेन्ट्स)

उपस्थित :– अभिभाषक श्री रमाकान्त लोहिया (अपीलान्ट)
अभिभाषक श्री फिरोज आब्दी (रेस्पोडेन्टस 1,2,) श्री दीपक माहेश्वरी (रेस्पोडेन्टस 3,) श्री तेजसिह धाभाई (रेस्पोडेन्टस 5)

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरूद्व इंतकाल नं. 204 दिनांक 11.08.2008 न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा

निर्णय दिनांकः– 24/4/26

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि यह इंतकाल अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून एवं पत्रावली के तथ्यो के सर्वथा विपरीत है जो खारिज योग्य है। रेस्पोडेन्ट कम 4 गिर्राज पुत्र रामेश्वर जाति मीणा ने ग्राम बागरोद ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा में प्रस्तुत किया था,जिसमें पक्षकारान् के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण उसके हिस्से की 1/4 आराजी की एवज में उसके हिस्से में आराजी खसरा नम्बर 213 रकबा 1.57 है0 वाके ग्राम बांगरोद रखी गई थी,उक्त राजीनामें के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा ने दिनांक 12.5.2008 को निर्णय एवं डिक्री पारित की जिसकी पालना में तहसीलदार पीपल्दा ने इंतकाल नं. 204 तस्दीक किया गया। गिर्राज रेस्पोडेन्ट कम 4 ने वाद में यह प्रार्थना चाही थी कि आराजी खसरा नम्बर 191 रकबा 1.15 है0 खसरा नम्बर 292/233 रकबा 1.96 है,खसरा नम्बर 156 रकबा 0.05 है. खसरा नम्बर 159 रकबा 1. 01 है. खसरा नम्बर 160 रकबा 0.03 है0 खसरा नम्बर 161 रकबा 0.02 है. खसरा नम्बर 170 रकबा 0.37 है. खसरा नम्बर 213 रकबरा 1.57 है. खसरा नम्बर 89 रकबा 1.47 है0

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

मे से 1/4 हिस्सा का बटवारा करवाया जाकर उसके पृथक से उसके खाते में दर्ज की जावे।

अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 3 निगमा ने आराजी ख.न. 156,159,160,161,170,213, एवं 89 मे से अपने हिस्से की आराजी गिर्राज के पक्ष में देकर उसके खाते में खसरा न. 213 रकबा 1.57 है. आराजी दर्ज करवाने के लिए राजीनामा पेश किया था एवं उक्त खसरा नम्बर मे से 0.48 है. भूमि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 3 के खाते में दर्ज करवाई। आराजी ख.न. 191 रकबा 1.15 है0 एवं आराजी ख.न. 292/233 कुल 3.11 है. आराजी में अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 का 1/4 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट कम 4 का 1/4 हिस्सा एवं निगमा का 1/4 हिस्सा दर्ज था इसलिए रेस्पो.कम 1 व 2 के हिस्से में 1/4 भूमि यानि कि 0.77 है0दर्ज करनी चाहिए थी जबकि तहसीलदार पीपल्दा ने उक्त इंतकाल के जर्ये उसके हिस्से में 1/3 हिस्से भूमि दर्ज की गई और अपीलानट एवं रेस्पोडेन्ट कम 3 के हिस्से में 2/3 भूमि दर्ज की गई जबकि उनके हिस्से में 3/4 हिस्से की भूमि यानि कि 2.34 है.भूमि दर्ज होनी चाहिए।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा की डिक्री की पालना फैसले की मूल भावना के अनुसार नही की है इसलिए निरस्तनीय है।

उक्त इंतकाल की सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हलका द्वारा बताये जाने पर दिनांक 19.7.2017 को हुई। जानकारी प्राप्त होने पर इंतकाल की नकल प्राप्त कर उक्त अपील पेश की गई,इसलिए अधीनस्थ न्यायालय कि निर्णय से लेकर नकल प्राप्त करने तक का समय मियाद से मुजरा करने के उपरान्त अपील अन्दर मियाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 लि.एक्ट अलग से पेश है।

अतःअपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर इंतकाल नम्बर 204 दिनांक 11.08.2008 तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा को संशोधन कर आराजी ख.न. 191 रकबा 1.15 एवं 292/233 रकबा 1.96 है. मे रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के हिस्से में 1/4 आराजी एवं अपीलाटन एवं रेस्पोडेन्ट क 3 के हिस्से में कुल 3/4 आराजी दर्ज करने का आदेश पारित करे।

अपील सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस् की तलबी जर्ये समन्न की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री फिरोज आब्दी (रेस्पोडेन्टस 1,2,) श्री दीपक माहेश्वरी (रेस्पोडेन्टस 3,) श्री तेजसिह धाभाई (रेस्पोडेन्टस 5) द्वारा वकालतनामा पेश हुआ व रेस्पोडेन्ट कम 4 स्वंय उपस्थित हुआ। रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 5 का जवाब पेश कर निवेदन किया कि वास्तवित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट को उक्त इंतकाल की जानकारी इंतकाल खुलने के बाद से ही थी क्योकि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कम 3 ने मिलकर एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा में दिनांक 3.2.2014 को पेश किया व उक्त वाद अपीलान्ट ने स्वंय का 1/3 व रेस्पोडेन्ट यानि कुल 2/3 के विभाजन का पेश किया यानि उक्त इंतकाल को स्वीकार किया इसके बाद उक्त वाद में रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के जवाब पेश होने के बाद उक्त वाद दिनांक 17.10.2024 को **NOTE-PRESS** में खारिज करवा लिया। तदोपरान्त अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कम 3 ने फिर एक नया वाद नये रूप मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा में पेश किया जिसमें धोषणा की रिलीफ मूल वाद मे चाही गई थी

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

विवाद नही है राजस्व केम्प बोरदा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विड्रो कर खारिज करवा लिया। उक्त दोनो वाद वादी(अपीलान्ट) के द्वारा पेश कर खारिज करवाये जा चुके है तथा उसके भी एक माह बाद उक्त इंतकाल की अपील पेश की है। उक्त दोनो वादपत्रों से ये तथ्य बखूबी साबित है कि अपीलान्ट को उक्त इंतकाल की पूर्व से ही जानकारी थी किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में गलत तथ्य वर्णित किया गया है जबकि अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त अपील वकील अपीलान्ट द्वारा धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.08.2008 के विरूद्व दिनांक 3.08.2017 को प्रस्तुत की गई है जो विलम्ब से प्रस्तुत हुई है। वकील अपीलान्ट द्वारा जैर अपील आदेश की जानकारी नकल प्राप्त करने के बाद होना जाहिर किया है। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण की जानकारी पूर्व में होना अपने जवाब में अंकित किया है। न्यायहित को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद मानी जाती है।

पत्रावली में बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट अपील मेमों में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट कम 4 गिर्राज पुत्र रामेश्वर जाति मीणा ने ग्राम बागरोद ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा में प्रस्तुत किया था,जिसमें पक्षकारान् के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण उसके हिस्से की 1/4 आराजी की एवज में उसके हिस्से में आराजी खसरा नम्बर 213 रकबा 1.57 है0 वाके ग्राम बांगरोद रखी गई थी,उक्त राजीनामें के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा ने दिनांक 12.5.2008 को निर्णय एवं डिकी पारित की जिसकी पालना में तहसीलदार पीपल्दा ने इंतकाल नं. 204 तस्दीक किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा की डिकी की पालना फैसले की मूल भावना के अनुसार नही की है इसलिए निरस्तनीय है।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी के संबध में दो बार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा में वाद दायर किये ओर उसके बाद यह कहते हुए कि पक्षकारान् में कोई विवाद नही है राजस्व केम्प बोरदा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विड्रो कर खारिज करवा लिया। उक्त दोनो वाद वादी(अपीलान्ट) के द्वारा पेश कर खारिज करवाये जा चुके है तथा उसके भी एक माह बाद उक्त इंतकाल की अपील पेश की है। उक्त दोनो वादपत्रों से ये तथ्य बखूबी साबित है कि अपीलान्ट को उक्त इंतकाल की पूर्व से ही जानकारी थी किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में गलत तथ्य वर्णित किया गया है जबकि अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

वकील पक्षकारान् की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा के आदेश एवं डिकी दिनांक 12.5.2008 की पालना में तस्दीक किये गये इन्तकाल संख्या 204 दिनांक 11.08.2004 कि के विरूद्व पेश की गई है। पत्रावली में उपलब्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा के निर्णय/डिकी दिनांक 12.05.2008 का अवलोकन किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा द्वारा अपने निर्णय एवं डिकी दिनांक 12.05.2008 पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया इंतकाल संख्या 204 दिनांक 11.08.2008 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

इटावा द्वारा पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 12.05.2008 के अनुसार ही खोला गया है। प्रस्तुत अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किये गये इंतकाल संख्या 204 दिनांक 11.08.2008 में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जाती है ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24/4/2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा

मुद्रा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा